संख्या 1(8)/2007-पीडी-2

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 अक्तूबर, 2017

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: राशन कार्डों के साथ आधार सीडिंग के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) के अधीन इस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ.सं. 371 [अ] दिनांक 08.02.2017 [समय-समय पर यथासंशोधित] का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्ड धारक सभी लाभार्थियों को एनएफएसए के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने के लिए आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अथवा आधार अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है और जिन लाभार्थियों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें अपने उचित दर दुकान के डीलर को अपने राशन कार्ड नंबर के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरा देकर अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गए वेब पोर्टल पर उक्त सूचना देकर आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित है।

उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि एनएफएसए के अंतर्गत सब्सिडियों के लाभार्थियों को आधार नंबर दिए जाने तक ऐसे लाभार्थियों/परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी पात्रताएं राशन कार्ड और आधार नामांकन आईडी पर्ची अथवा उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध 8 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ आधार नामांकन के लिए राज्य सरकार को किए गए अनुरोध की प्रति प्रस्तुत करने पर दी जाएंगी।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है, उन्हें आधार नामांकन सुविधा प्रदान करें और उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राशन कार्डों के साथ आधार नंबर जोड़ें। केवल आधार न होने के आधार पर किसी भी लाभार्थी/परिवार का नाम पात्र परिवारों की सूची से हटाया नहीं जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों अथवा नकद अंतरण से वंचित नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड धारक के समुचित सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड डाटा बेस से नाम हटाया जाएगा, जिसमें यह बात संदेह से परे सिद्ध की गई हो कि उक्त राशन कार्ड धारक से संबंधित प्रविष्टि वास्तविक नहीं है।

3. दिनांक 8 फरवरी, 2017 की उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार पात्र परिवार के किसी भी सदस्य को, यदि वह पहचान संबंधी उपर्युक्त अपेक्षाएँ पूरी करता/करती है, परिवार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की समस्त मात्रा अथवा खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण प्राप्त करने की पात्रता है, चाहे उसके परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार नंबर है।

4. नेटवर्क/कनेक्टीविटी/लिंकिंग की समस्या/लाभार्थी के बायो-मैट्रिक ब्यौरे में समस्या अथवा अन्य तकनीकी कारणों से बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण न होने के कारण लाभार्थी को आधार अधिनियम की धारा 7 में किए गए प्रावधान [आधार नंबर होने का प्रमाण] के अनुसार बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण के स्थान पर राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत किए जाने के आधार पर सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों अथवा नकद अंतरण प्रदान किया जाएगा।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य के सभी फील्ड कार्मिकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि केवल आधार न होने के आधार पर खाद्यान्नों से वंचित करने अथवा राशन कार्ड डाटा बेस से परिवार का नाम हटाने की कोई घटना न होने पाये और उपर्युक्त अधिसूचना का उल्लंघन करके लाभ से वंचित करने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए।

6. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दिनांक 08.02.2017 की उक्त अधिसूचना अथवा पैरा 4 में उल्लिखित वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से किए गए सत्यापन के आधार पर किसी व्यक्ति को दिये गए लाभ का ब्यौरा उचित दर दुकान के डीलर द्वारा अपवाद के रूप में अलग से दर्ज किया जाएगा। डीलर आधार कार्ड की एक प्रतिलिपि, लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट अन्य सहायक दस्तावेज़ भी रखेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह ऐसे अपवादों के मामले में फील्ड में लाभार्थियों के सत्यापन सहित मासिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण का एक समुचित तंत्र तैयार करके कार्यान्वित करें, ताकि अपवादों के मामले में कोई दुरुपयोग न हो और लाभार्थियों को सूची से हटाया न जाए।

भवदीय

(प्रमोद कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूआईडीएआई, तीसरा तल, टॉवर II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001